



2026:AHC-LKO:19972

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 2001670 वर्ष 2015

अभिनंदन कुमार

याचिकाकर्तागण

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक, लखनऊ एवं अन्य

.... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता
अंशुमान

: संदीप दीक्षित, अमरदीप यादव,

सिंह, अशोक कुमार सिंह, मो० अनस

खान

,राधिका सिंह, ऋचा मिश्रा, ऋषभ राज,

सैयद हसन इजाज़, वरदराज श्रीदत्त ओझा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: सुदीप सेठ, आलोक सक्सेना

सुरक्षित: 02.12.2025घोषित: 19.03.2026न्यायालय संख्या-12

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

निर्णयअस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती राधिका सिंह तथा प्रतिवादी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सक्सेना को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.02.2015 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया, तथा दिनांक 08.06.2015 के उस आदेश को भी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. संक्षेप में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार यह है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2008 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राहक संबंध सहयोगी / विपणन सहयोगी के पद पर नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 24.09.2008 को उक्त पद पर नियमित कर दिया गया था। तत्पश्चात उसका पदनाम सहायक/ लेखा/ नकद/ सहायक (विपणन) में परिवर्तित कर दिया गया। यह कहा गया है कि वर्ष 2010 में, याचिकाकर्ता को भारतीय स्टेट बैंक, घोसी शाखा के प्रबंधक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड के आवेदकों को सुविधा प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 29.09.2012 तक संपादित किया गया। यह दावा किया गया है कि तत्पश्चात आवेदक को प्रशिक्षु अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और उसका स्थानांतरण लखनऊ तथा उसके बाद रामपुर और गोरखपुर किया गया। यह भी याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि उसे सहायक महाप्रबंधक द्वारा दिनांक 09.06.2009 को एक प्रशंसा-पत्र भी जारी किया गया था। यह कहा गया है कि जब आवेदक भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड के निवेशकों को सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यरत था, तब वह निवेशकों के अभिलेखों का संधारण करता था।
4. यह दावा किया गया कि दिनांक 11.07.2013 को, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 68-क के प्रावधानों के अंतर्गत, याचिकाकर्ता को विभागीय जांच लंबित रहने के दौरान निलंबित कर दिया गया और उसे प्रशासनिक कार्यालय, गोरखपुर से संबद्ध कर दिया गया। दिनांक 25.07.2013 को, याचिकाकर्ता से उसके प्रति आरोपित कुछ त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया (अनुलग्नक-8)। याचिकाकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः यह आधार लिया कि उसे ऐसे कार्य के लिए कभी कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था और वह शाखा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य करता था (अनुलग्नक-9)। यह कहा गया है कि दिनांक 25.07.2013 को, याचिकाकर्ता को पुनः कुछ त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया (अनुलग्नक-10), जिसके प्रति याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.09.2013 को उत्तर प्रस्तुत किया।

5. यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, दिनांक 29.05.2014 का एक आरोप-पत्र दिनांक 31.05.2014 को याचिकाकर्ता को तामील किया गया और याचिकाकर्ता को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 03.06.2014 को प्रस्तुत किया गया। आरोप-पत्र तथा उत्तर क्रमशः अनुलग्नक संख्या 12 एवं 13 में संलग्न हैं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात, प्रतिवादी-बैंक ने विभागीय जांच करने का निर्णय लिया और सहायक महाप्रबंधक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा श्री ओ०पी० पाण्डेय, मुख्य प्रबंधक (सतर्कता) को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने बचाव प्रतिनिधि के रूप में श्री पवन कुमार को भी नियुक्त किया। यह कहा गया है कि तत्पश्चात जांच दो दिनों के भीतर संपन्न कर ली गई और दिनांक 10/11.11.2014 की जांच आख्या की प्रति याचिकाकर्ता को तामील की गई, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। उक्त जांच आख्या में आरोप संख्या 1, 2, 4, 6, 7 एवं 9 सिद्ध पाए गए, जबकि आरोप संख्या 3 एवं 8 आंशिक रूप से सिद्ध पाए गए।

6. याचिकाकर्ता ने सेवा पीठ संख्या 1427 वर्ष 2014 के रूप में एक रिट याचिका आरोप-पत्र को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, जिसे दिनांक 15.10.2014 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ निस्तारित कर दिया गया कि कार्यवाही विधि के अनुसार संपन्न की जाएगी।

7. याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि उसने जांच आख्या के प्रति विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया, तथापि याचिकाकर्ता के विरुद्ध बर्खास्तगी का दंडादेश प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए याचिकाकर्ता को दिनांक 13.02.2015 के पत्र द्वारा दिनांक 16.02.2015 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु कहा गया। याचिकाकर्ता पुनः उपस्थित हुआ और अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया, तथापि दिनांक 19.02.2015 का प्रश्नगत आदेश याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित किया गया, जिसके द्वारा उसे बैंक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

8. दिनांक 06.04.2015 के बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 69 के अंतर्गत एक अपील प्रस्तुत की, जिसे भी दिनांक 08.06.2015 को निरस्त कर दिया गया। उक्त दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती राधिका सिंह यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि आरोपों को जांच अधिकारी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का सह-विक्रय हेतु जारी पश्चातवर्ती दिशानिर्देशों के आधार पर सिद्ध किया गया है, जो मनमाना है। अपने तर्कों का और विस्तार करते हुए, आरोप संख्या 1 के संबंध में यह आरोप कि याचिकाकर्ता ने, एएमएफआई प्रमाणित कर्मचारी (एसीई) न होने के कारण ऐसे व्यवसाय को संचालित करने के लिए अयोग्य होते हुए भी, शाखा में ग्राहकों से म्यूचुअल फंड व्यवसाय को अनधिकृत रूप से संचालन / अभ्यर्थन किया, विधि विरुद्ध है, क्योंकि याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक के मौखिक निर्देशों पर कार्य कर रहा था। निवेशकों को याचिकाकर्ता द्वारा सुविधा प्रदान की गई थी और किसी भी स्थिति में, प्रतिबंध दिनांक 11.06.2013 से प्रभावी किए गए थे, जबकि याचिकाकर्ता उक्त अवधि से पूर्व कार्य कर चुका था।

10. आरोप संख्या 2 के संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उक्त आरोप शाखा के ग्राहकों को मासिक प्रतिफल का आश्वासन देकर उन्हें गुमराह करते हुए दुरुपयोगपूर्ण विक्रय से संबंधित है जो विधि विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी निवेशक को मासिक प्रतिफल का आश्वासन नहीं दिया गया था और याचिकाकर्ता को केवल बैंक ड्राफ्ट तैयार करने तथा निवेशकों को सुविधा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आरोप दो कथनों के आधार पर सिद्ध किया गया है, जो यह प्रकट नहीं करते हैं कि याचिकाकर्ता ने कभी उन्हें पर्याप्त प्रतिफल का आश्वासन दिया था।

11. आरोप संख्या 3 के संबंध में, जो अभिलेखों के संधारण न करने से संबंधित है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि उक्त आरोप विधि विरुद्ध है, क्योंकि जांच अधिकारी ने स्वयं अभिलिखित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा 135 व्यवसाय प्रस्ताव जुटाए गए थे, जबकि जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि याचिकाकर्ता द्वारा केवल 53 ग्राहकों को ही जुटाया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने अभिलेखों का समुचित संधारण किया था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त आरोप के समर्थन में बैंक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

12. आरोप संख्या 4 के संबंध में, जिसमें याचिकाकर्ता पर यह आरोप लगाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में निवेश हेतु ग्राहकों से प्राप्त ड्राफ्ट तैयार करते समय उन्हें ग्राहक-विशिष्ट नहीं बनाया गया था ताकि ऐसे ड्राफ्टों के कपटपूर्ण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपयोग की संभावना को निरस्त किया जा सके। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्ष 2013 से पूर्व ग्राहकों-विशिष्ट किसी भी जानकारी को सम्मिलित करने का कोई निर्देश नहीं था और ड्राफ्ट के पीछे आवेदन के क्रमांक का उल्लेख किया जाता था, अतः आरोप संख्या 4 के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध किया गया निष्कर्ष गलत रूप से अभिलिखित किया गया था।

13. आरोप संख्या 5 के संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि संबंधित ग्राहकों द्वारा लेखाकार को दूरभाषीय निर्देशों के आधार पर ड्राफ्ट शाखा में सुरक्षित रखे गए थे और तत्पश्चात शाखा प्रबंधक के निर्देशानुसार ड्राफ्टों को निरस्त कर पुनः निर्गत किया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कृत्य में अनेक अधिकारी सम्मिलित थे और याचिकाकर्ता को पृथक रूप से लक्षित किया गया है।

14. आरोप संख्या 6 के संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है कि निवेश हेतु ड्राफ्ट स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा तैयार नहीं किए गए थे, बल्कि ड्राफ्ट ग्राहकों की ओर से क्रय किए गए थे और दीर्घ समय व्यतीत हो जाने के कारण याचिकाकर्ता ग्राहकों के नामों को स्मरण करने में असफल रहा।

15. आरोप संख्या 7 के संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है कि 135 प्रस्तावों के अंकन के संबंध में बैंक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

16. आरोप संख्या 8 के संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 23.09.2013 से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी, क्योंकि निवेश की स्थिति सहायक के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं थी।

17. आरोप संख्या 9 के संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा सभी 135 प्रस्तावों के किए जाने के संबंध में बैंक कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है कि याचिकाकर्ता को गलत रूप से बर्खास्त किया गया है और उसे पृथक रूप से लक्षित किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपित दंड अत्यंत असंगत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरणों *माध्यमम् ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य: (2023) 13 एससीसी 401; उत्तर प्रदेश राज्य एवं*

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा: सिविल अपील संख्या 254 वर्ष 2008: निर्णय दिनांक 02.02.2010; बृज बिहारी सिंह बनाम बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं अन्य: सिविल अपील संख्या 1217 वर्ष 2011: निर्णय दिनांक 20.11.2015; निर्मला जे० झाला बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य: सिविल अपील संख्या 2668 वर्ष 2005: निर्णय दिनांक 18.03.2013 तथा रथिन घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य: सिविल अपील संख्या 5633 वर्ष 2019, एसएलपी (सिविल) संख्या 31374 वर्ष 2017 से उत्पन्न: निर्णय दिनांक 29.07.2019, में प्रदत्त निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

18. प्रतिवादी-बैंक के अधिवक्ता श्री आलोक सक्सेना यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार पर्याप्त रूप से स्थापित है और यह प्रच्छन्न अपील नहीं है तथा यह निर्णय लेने की प्रक्रिया की त्रुटियों तक या तथ्यों के निष्कर्षों के संबंध में, जो प्रतिकूल हों, तक सीमित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरणों *भारत संघ बनाम पी० गुणशेखरन: एआईआर 2015 एससी 545; भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम नरेंद्र कुमार पांडेय: (2013) 2 एससीसी 740; ललित पॉपली बनाम केनरा बैंक एवं अन्य: (2003) 3 एससीसी 583 तथा प्रशासक, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र बनाम गुलाभिया एम० लाड: (2010) 5 एससीसी 775*, में प्रदत्त निर्णयों पर भरोसा किया गया है। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि उक्त आधारों पर कोई त्रुटियाँ इंगित नहीं की गई हैं, इसलिए रिट याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

19. प्रशासनिक कार्यवाहियों में न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्राधिकार का सार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *माध्यमम् ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (उपर्युक्त)* के वाद में निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया गया है:

“38. संविधान का अनुच्छेद 13 यह उपबंधित करता है कि संविधान के भाग III में निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के साथ असंगत सभी विधियां शून्य होंगी। अनुच्छेद 13(3)(क) यह उपबंधित करता है कि इस उपबंध के प्रयोजनार्थ, ‘विधि’ में ‘कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या प्रचलन, जिसे भारत के क्षेत्र में विधि का बल प्राप्त है’ सम्मिलित होगा।” अतः यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किसी प्रशासनिक कार्यवाही को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के अधिकार की विषयवस्तु का विस्तार कर मनमानेपन के विरुद्ध प्रत्याभूति को सम्मिलित किए जाने के पश्चात, प्रशासनिक कार्यवाही के न्यायिक पुनर्विलोकन के आधारों का विस्तार हुआ है। प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है: (i) अविवेकपूर्णता या अतार्किकता; (ii) अवैधता; तथा (iii) प्रक्रिया संबंधी अनियमितता। इस न्यायालय ने यह भी अभिधारित किया है कि उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त, यदि प्रशासनिक कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 के अंतर्गत प्रत्याभूति स्वतंत्रताओं को प्रभावित करती है, तो उसका पुनरीक्षण समानुपातिकता के आधार पर भी किया जा सकता है।”

20. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध जांच आख्या पर विचार करने से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता पर कुल 9 आरोप आरोपित किए गए थे। आरोप संख्या 5 के संबंध में, जो मुख्य आरोप है, याचिकाकर्ता पर निम्नानुसार आरोप लगाया गया था:

“चार ड्राफ्ट, जिनकी कुल राशि रुपये 1,69,000/- है, जो अगस्त/सितम्बर 2009 में चार भिन्न ग्राहकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक लाइफ की यूएलआईपी योजना में निवेश हेतु क्रय किए गए थे, को आपके द्वारा अनधिकृत रूप से दिसंबर 2009 तक अपने पास सुरक्षित रखा गया। उक्त सभी चार ड्राफ्टों को आपके द्वारा ड्राफ्ट के क्रेताओं से विधिवत् उन्मोचन प्राप्त किए बिना निरस्त करा दिया गया और उनकी प्राप्ति राशि का उपयोग भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में चार ऐसे व्यक्तियों के नाम पर निवेश हेतु किया गया, जो मूल ड्राफ्टों के क्रेताओं से भिन्न थे। सभी 4 ड्राफ्टों के संबंध में, जो भारतीय स्टेट बैंक लाइफ की यूएलआईपी योजना में निवेश हेतु निरस्तीकरण की प्राप्ति राशि से जारी किए गए थे, आप ही आवेदक थे।”

21. उक्त आरोप पर निष्कर्ष स्पष्ट था कि निवेशकों से प्राप्त ड्राफ्टों की निरस्तीकरण से प्राप्त राशि का उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर निवेश करने हेतु किया गया, जो मूल ड्राफ्टों के क्रेताओं से भिन्न थे, जबकि वे ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा कंपनी की यूएलआईपी योजना में निवेश के लिए क्रय किए गए थे। यह भी अभिलिखित किया गया कि याचिकाकर्ता ही इन सभी चार ड्राफ्टों का क्रेता था और निवेश विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया था, जो वास्तविक निवेशकों से भिन्न थे। उक्त आरोपों के संबंध में, जो मुख्य आरोप है, याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया बचाव यह था कि शाखा के पारित करने वाले अधिकारियों या लेखाकार की जानकारी के बिना याचिकाकर्ता अपने ही नाम से या विभिन्न नामों से आवेदन कैसे कर सकता था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता स्वयं अपने स्तर पर ड्राफ्ट को निरस्त नहीं कर सकता था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के उक्त बचाव को यह अभिलिखित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह बचाव स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो चुका है कि रुपये 1,69,000/- की कुल राशि के चार ड्राफ्ट, जो अगस्त/ सितम्बर 2009 में चार भिन्न ग्राहकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक लाइफ की यूएलआईपी योजना में निवेश हेतु क्रय किए गए थे, को याचिकाकर्ता द्वारा अनधिकृत रूप से दिसंबर, 2009 तक तथा एक ड्राफ्ट को दिनांक 12.01.2010 तक अपने पास सुरक्षित रखा गया।

22. सभी चार ड्राफ्टों को याचिकाकर्ता द्वारा ड्राफ्टों के क्रेताओं से उन्मोचन प्राप्त किए बिना निरस्त करा दिया गया और उनकी प्राप्ति राशि का उपयोग भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में चार ऐसे व्यक्तियों के नाम पर निवेश हेतु किया गया, जो मूल ड्राफ्टों के क्रेताओं से भिन्न थे। इस आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सही रूप से यह अभिधारित किया कि याचिकाकर्ता उक्त चार मांग ड्राफ्टों के अनधिकृत रूप से धारण और दुरुपयोग के दायित्व से बच नहीं सकता है।

23. उक्त विशिष्ट आरोप संख्या 5 के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें याचिकाकर्ता को निवेशकों से प्राप्त ड्राफ्टों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें अन्य व्यक्तियों की ओर से निवेश हेतु प्रयुक्त करने का दोषी पाया गया, मात्र यही तथ्य बैंक द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त था। उपर्युक्त रूप में उल्लिखित अन्य आरोपों के संबंध में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क स्पष्ट रूप से इस न्यायालय में निहित न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई तर्क नहीं किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ था या याचिकाकर्ता को प्रतिवाद का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि को बहस के दौरान इंगित नहीं किया गया।

24. इस न्यायालय ने आरोप संख्या 5 के संबंध में, जो सभी आरोपों में सर्वाधिक गंभीर है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से विशेष रूप से प्रश्न किया, जिसके प्रति न

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर में और न ही वर्तमान रिट याचिका में कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

25. निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी त्रुटि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न किए जाने अथवा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तथ्यात्मक निष्कर्षों में किसी प्रतिकूलता का होना प्रदर्शित करने के संबंध में किसी अभिवचन के अभाव में, हस्तक्षेप हेतु कोई उचित आधार निर्मित नहीं होता है।

26. असमानुपातिक दंड के संबंध में प्रस्तुत तर्क भी अस्वीकृति योग्य है, क्योंकि बैंक के कर्मचारियों को निवेशकों के धन का दायित्व सौंपा जाता है, और उसके किसी भी दुरुपयोग पर दंड में किसी प्रकार की उदारता का औचित्य नहीं ठहरता है। बैंक के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने ग्राहकों द्वारा उन पर निहित विश्वास का दुरुपयोग किया है, दिया गया दंड कठोरतम संभव दंड का अधिकारी है, जो यथोचित रूप से अधिरोपित किया गया है।

27. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, उक्त दोनों आदेशों में हस्तक्षेप हेतु कोई उचित आधार विद्यमान नहीं है। रिट याचिका में कोई गुण नहीं है और इसे **खारिज** किया जाता है।

दिनांक: 19.03.2026

(न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

एकेवर्मा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।